

29/12/2024

पुण्यावली प्रस्तुत अपीलार्थीगण अनुपस्थित  
 हैं/ हजेरतों के अधिवक्ता उपस्थित  
 होने पर निर्णय किया कि प्रकरण में  
 नतीजा ही चुका है पुण्यावली हाजिर  
 हजेरत हजेरतों के लिए निर्णय किया  
 पुण्यावली न्यायालय हाजिर जिला कलक्टर  
 अनापराध से हजेरतों के एक प्रमाण  
 होने के परभाव अपीलार्थीगण की  
 सूचना नहीं जारी किए गए (जो कि  
 अपीलार्थीगण को प्रमाण ही गाने के लक्षिक  
 हजेरतों के पुण्यावली का आवलान्त  
 किया/ दिनांक 21/12/2023 को अपीलार्थी  
 8-2 के वक्ता अपीलार्थीगण की हजेरत  
 के जो प्रमाण प्रस्तुत कर निर्णय किया  
 है कि अपील में कार्यवाही नहीं चाहती  
 है अपील विद्वा अरिफ काने हेतु निर्णय  
 किया है अपीलार्थीगण की आवलान्त  
 शर्तों उपस्थित नहीं है उक्त प्रतीव ही  
 है कि अपीलार्थीगण की प्रकरण चलाने  
 में कोई रुची शेष नहीं रह गयी है  
 अतः अपील अपीलार्थी, अपीलार्थीगण की  
 अफस हजेरत-अफस केवरी में अरिफ काने  
 की प्रकरण में पारित विवेधाना निकली 11/12/24  
 को निरस्त किया जाता है पुण्यावली प्रमाण  
 में अनुपस्थित होने पर निर्णय हजेरतों



जिला कलक्टर  
 अनापराध